

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

दूरध्वनी : 022-28294799
ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

फ़ैक्स : 022-28291754
वेब साइट : www.seepz.org


सं. सीपज़-सेज़/न्यूसेज़/एसईजेड एक्ट & रूल/002/2015-16/10847

जुलाई 10, 2015

परिपत्र सं 57 /2015.

विषय:- सेज़ के नॉन प्रोसेसिंग एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के दुहरे उपयोग के लिए विकासकों / सह विकासकों को अनुमोदन देने हेतु आवेदन फॉर्म ।

सेज़ के नॉन प्रोसेसिंग एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के दुहरे उपयोग के लिए विकासकों / सह विकासकों को अनुमोदन देने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्धारित आवेदन की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है । इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो अथवा कोई सुझाव हो, तो कृपया इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए ।



(पी. एस. रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

अनुलग्नक: यथोपरि.

- प्रतिलिपि: i) विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार - क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी विकासक / सह विकासक ।
ii) आइ टी अनुभाग - इसे वेबसाइट पर अपलोड करें ।
iii) सूचना पट्ट